an>

Title: Need to fix the price of packaged mineral water in the country.

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : अध्यक्ष महोदया, मुद्दा पीने के पानी का बाजारीकरण का है, मसाल पानी के पैंकिंग का है, इस समय बाजार में अलग-अलग नामों से पानी की खूब बिक्री हो रही है। पानी को विविध तरीके से पैक करके लोगों से मनमाने तरीके से पैसा लिया जाता है। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि भारत में सभी तरह के नियमों को ताक पर रखकर कंपनियां पानी एक दाम अनेक के फार्मूला बनाकर अपने द्वारा निर्धारित मूल्य पर पानी को खरीदने पर मजबूर किए हुए हैं। उच्च श्रेणी के होटलों में एक बोतल पानी 100 रुपये में और रेस्टोरेंट में वही बोतल 50 रुपये में बेची जाती है और अन्य दुकानों में कहीं पर 25 रुपये और कहीं 20 रुपये में बेची जाती है। पानी पीने वाले जो ग्राहक हैं वह बहुत परेशान हैं। एक अनुमान के मुताबिक इसका कारोबार लगभग 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है। पानी का कारोबार तेजी से बढ़ने के कारण मूल्य निर्धारिण के लिए कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं होना है। शुद्धता का कोई मानक नहीं है क्योंकि पानी के लिए आईएसआई मार्क लेने की अनिवार्यता नहीं है। धरती का सीना छलनी करो और उससे पानी निकालो और बेचना शुरू कर दो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाजार में मनमाने दाम पर बिकने वाले पानी पर एक बोतल का खर्च 5 या 6 रुपये होता है। लोगों से चार गुना ज्यादा कीमत वसूली जाती है। कंपनियां जानती हैं कि देश में पीने योग्य शुद्ध पानी का अभाव है इसलिए लोग बोतल बंद पानी खरीदेने को विवश हैं। देश में इसी का फायदा उठाया जा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि देश में पैदा हुई पानी की समस्या को हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाए यह सभी संभव होगा जब सरकार द्वारा बीएसआई को और अधिकार संपन्न किया जाए ओर देश में मूल्य नियामक का संस्था बनाया जाए साथ ही लाइसेंस प्रक्रिया को सरल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री रवीन्द्र कुमार जेना,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री अजय मिश्र टेनी,

श्री रोड़मल नागर,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल, और

श्री शरद त्रिपाठी श्री चंदूलाल साहू द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।